ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

Website : www.hindivishwa.org

निविदा आमंत्रित

विश्वविद्यालय के छात्रावासों (छात्र / छात्रा) में मेस सुविधा हेतु

निविदा सं. : **MGAHV/103 /Hostel Mess Services/2019-20/04** दिनाक : 01.01.2021

निविदा प्रपत्र क्रय प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	:	02.01.2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से)
निविदा प्रपत्र क्रय की अंतिम तिथि एवं समय	:	18.01.2021 (अपराह्न 05.00 बजे तक)
तकनीकी निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	:	19.01.2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)

☞ टिप्पणी :

- निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी, शर्तें एवं प्रपत्र (फार्म) विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.hindivishwa.org* पर उपलब्ध हैं।
- निविदाकर्ताओं से अपेक्षित है कि निविदा जमा करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वे निविदा प्रपत्र की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं तथा निविदा प्रपत्र के सभी पन्नों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मोहर सहित अवश्य हों।

निविदा दस्तावेज शुल्क : 500/-

क़ादर नवाज़
कुलसचिव 01/01/21

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

विश्वविद्यालय के मेस में भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

MGAHV/103/Hostel Mess Services/2019-20/04

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के विभिन्न छात्रावासों एवं संतुष्टी मेस में भोजन व्यवस्था के लिए उचित दरों में आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित कैटरर्स से सीलबंद लिफाफों में निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती हैं –

कार्य की प्रकृति	**निविदा दस्तावेज शुल्क**	**बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)** (ब्याज मुक्त हस्तांतरणीय)	**निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान**	**तकनीकी निविदा खुलने की तिथि, समय एवं स्थान**
भोजन की आपूर्ति	***राशि 500/-*** **(पाँच सौ रुपये मात्र)** (जो वापस नहीं होगी)	राशि 50,000 /– (पचास हजार रुपये मात्र)	18-01.2021 अपरान्ह 05.00 बजे कुलसचिव कार्यालय प्रशासनिक भवन विश्वविद्यालय परिसर वर्धा (महाराष्ट्र)	19.01.2021 पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलसचिव कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर वर्धा (महाराष्ट्र)
बयाना राशि (इ.एम.डी.) एवं निविदा *दस्तावेज* शुल्क की प्रकृति	❖ मात्र डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा, जो "वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय" के पक्ष में वर्धा में देय हो। ❖ निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट कृपया अलग–अलग संलग्न करें।			
निविदाकर्ता के लिए आवश्यक सूचना	❖ निविदा सीलबंद हो तथा निविदा के ऊपर भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा, अंतिम तिथि 18.01.2021" लिखा हो। ❖ निविदाकर्ता को निम्नानुसार डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा धरोहर राशि (इ.एम.डी.) देनी होगी, जो ब्याज मुक्त हस्तांतरणीय होगी : ☞ **टिप्पणी** : सूक्ष्म और लघु उद्यमों *(MSE)* के मामले में आवेदक फर्मों को निविदा दस्तावेज शुल्क और बयाना राशि जमा करने से नियमानुसार छूट दी जाएगी।			
	❖ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा के किसी भी विषय में यदि वास्तविक निविदा दस्तावेजों से किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई गई, तो उसकी निविदा को रद्द कर दिया जाएगा। ❖ मुहरबंद निविदाएँ, कुलसचिव कार्यालय में गठित समिति के द्वारा खोली जाएंगी। इच्छुक निविदाकर्ता या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (प्रत्येक फर्म से अधिकतम दो) उस समय वहाँ रह सकते हैं। ❖ विश्वविद्यालय के पास बिना कारण बताए किसी भी मद या निविदा को रद्द करने के समस्त अधिकार सुरक्षित हैं। ❖ निविदा खुलने के दिन भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा प्राप्ति, प्रस्तुति एवं खुलने की अंतिम तिथि अगला कार्य दिवस और समय रहेगा।			

निविदा एवं संविदा की सामान्य नियम और शर्तें

1. **महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**, वर्धा (एतद्पश्चात 'विश्वविद्यालय' के रूप में उल्लेखित किया गया है) की स्थापना भारतीय संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम के तहत की गई है। विश्वविद्यालय हिंदी भाषा की प्रगति हेतु समर्पित अंतरराष्ट्रीय स्तर का महाराष्ट्र में स्थापित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जिसका परिसर वर्धा के 212 एकड़ में विकसित हो रहा है। यह विश्वविद्यालय हिंदी के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न सूची के अनुसार एक वर्ष के लिए अथवा आगामी निविदा तक (रेट कॉन्ट्रेक्ट हेतु) भोजन की आपूर्ति हेतु संबंधित प्रतिष्ठित कैटरर्स से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
3. **निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः**

   निविदा दो भागों मे दी जानी आवश्यक है – (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।

   - **तकनीकी बोलीः** तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज, जिसमें ***परिशिष्ट-I*** व ***परिशिष्ट-II*** शामिल है। सीलबंद लिफाफा (नं.–1) में निविदा प्रपत्र मूल्य एवं बयाना राशि (इ.एम.डी.) का विवरण *(**परिशिष्ट-I** के अनुसार)*, फर्म से संबंधित सभी विवरण, सभी तरह के नामांकन संबंधी प्रपत्र तथा फर्म का पंजीयन, आयकर पंजीयन संख्या (PAN), जी.एस.टी. पंजीयन, कार्यानुभव, फुड लाइसेंस (अधिकृत प्रतिष्ठान से जारी) पिछले तीन वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर एवं संदर्भ विवरण (Reference details) आदि विधिवत भरा हुआ निविदा प्रपत्र वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियों सहित *(**परिशिष्ट-II** के अनुसार)* एवं निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार होने संबंधी अनुबंध का शपथ–पत्र *(**परिशिष्ट-III** के अनुसार)* तथा कैटरर्स का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में राशि 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर घोषणापत्र) आदि लगा होना आवश्यक है।
   - **वित्तीय बोलीः** वित्तीय बोली वाले लिफाफा (नं.–2) में ***परिशिष्ट-II*** एंव ***II***अ अनुसार विधिवत भरा हुआ विवरण तथा इसे मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

   तत्पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय निविदा वाले दोनों लिफाफे टेप अथवा लाख से मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफा (नं.–3) में रखकर तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **"भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा, अंतिम तिथि 18.01.2021"** लिखें।

   ☞ टिप्पणी : वित्तीय निविदा का अलग लिफाफा न होने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निविदाकर्ता को दस्तावेज का शुल्क वापस नहीं होगा।

4. **निविदा जमा करनाः**

   क) पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा **कुलसचिव,** महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, **वर्धा–442001** (महाराष्ट्र) के नाम दिनांक 18.01.2021 को अपराह्न 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय, प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय परिसर वर्धा में आवेदक द्वारा स्वयं भेजी/जमा की जा सकेगी।
   ख) कूरियर अथवा ई–मेल आदि किसी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
   ग) निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली निविदा विचारणीय नहीं होगी।
   घ) डाक के कारण देरी से निविदा पहुँचने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

5. **निविदा खोलनाः**

   क) बिंदु–3 के अनुसार अंतिम तिथि तक प्राप्त पूर्ण सीलबंद निविदाओं में से तकनीकी निविदाएं दिनांक 18.01.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कुलसचिव कार्यालय, विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। कोई भी निविदाकर्ता अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित न होने की स्थिति में कुलसचिव के समक्ष समस्त निविदाओं को खोला जाएगा।

   ख) विश्वविद्यालय किसी भी निविदा को चयन करने हेतु बाध्य नहीं है। बिना कोई कारण बताए किसी भी को स्वीकार या अस्वीकार का अधिकार विश्वविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखता है।

   ग) निविदाओं, पात्र मापदंड के लिए विनिर्देशों के समर्थन में कैटरर्स द्वारा प्रस्तुत सभी अथवा आवश्यक मूल दस्तावेजों के साक्ष्यों की पुष्टि को सत्यापित कराने का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है। किसी भी मामले में निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी बिंदु झूठा अथवा गलत पाए जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा को खारिज कर दिया जाएगा।

घ) तकनीकी निविदाओं में अर्हता पूरी न होने पर ऐसे निविदाकर्ताओं को अयोग्य मानते हुए उनकी वित्तीय निविदाएं नहीं खोली जाएंगी।

ङ) वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना तथा इस निविदा से संबंधित शुद्धिपत्र एवं/अथवा आवश्यक सूचना आदि सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में उपलब्ध करवाए गए अधिकृत ईमेल आई–डी पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. **फर्म का चयन एवं अनुबंध :**

क) भोजन की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दर वाली वित्तीय निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जाएगा।

ख) विश्वविद्यालय न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता से मोल–भाव का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग) विश्वविद्यालय भोजन की गुणवत्ता के अनुसार एक से अधिक फर्म के साथ अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भोजन की दरें एक या अधिक फर्मों की दरें लगभग एक–समान होने पर भोजन की गुणवत्ता एवं मोलभाव के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जाएगा।

घ) चयनित निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ राशि 100/- के गैर–न्यायिक (नॉन–ज्यूडिशियल) स्टांप पेपर पर नोटरी के समक्ष अनुबंध करना होगा, जिसका पूर्ण खर्च निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ.) चयनित निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अथवा मोल–भाव के उपरांत फर्म एवं विश्वविद्यालय, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत न्यूनतम दरें प्रारंभ में दर अनुबंध (रेट कांट्रेक्ट) की तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध होंगी। दोनों पक्षों की सहमति से, अनुबंध की अवधि वार्षिक आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

च) निविदा के मूल्यांकन के समय, उचित प्रतीत होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता से कोई भी जानकारी स्पष्ट करने को कहा जा सकता है। स्पष्टीकरण और जवाब मौखिक न होकर लिखित में होगा और दरों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

छ) निविदाकर्ता द्वारा निविदा के मूल्यांकन, निविदा तुलना, अनुबंध के फैसले के संबंध में विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से प्रभावित किए जाने का प्रयास किए जाने की स्थिति में, संबंधित की निविदा को रद्द किया जाएगा।

7. निविदा प्रपत्र की मूल्य अनुसूची में दर्शायी गई दरों में काँट–छाँट नहीं होनी चाहिए। मूल्य अनुसूची को पूर्णतः भरी होने पर ही स्वीकार किया जाएगा, अपूर्ण मदों की दरें भरने पर निविदा को निरस्त किया जा सकता है। उचित होगा कि दरें टंकित कर भेजी जाएँ।

8. निविदाकर्ता द्वारा सभी प्रकार के भोजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री का मेक/कंपनी का उल्लेख संलग्न दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, बिना मेक/कंपनी उल्लिखित निविदा को रद्द किया जा सकता है।

9. निविदा दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिये।

10. निविदा, निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदाकर्ता को इन शर्तों की सहमति आदि के संबंध में शपथ–पत्र ***(परिशिष्ट– III*** के अनुसार*)* पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

11. निविदा दस्तावेज के सभी कॉलम विधिवत एवं अच्छे तरीके से भरे जाने चाहिये और मूल्य अनुसूची पर भोजन की दर अंकों में स्पष्ट रूप में टंकित की/लिखी जानी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।

12. एक बार ब्रांड/कंपनी का चुनाव विश्वविद्यालय द्वारा हो जाने के बाद भोजन आपूर्ति द्वारा भोजन की पूर्ति हेतु किसी अन्य प्रकार के ब्रांड/कंपनी को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

13. मदों की प्राप्ति के पश्चात यदि किसी वस्तु के ब्रांड/कंपनी मे भिन्नता अथवा खराबी पाई गई, तो विश्वविद्यालय चयनित फर्म को आर्थिक दंड करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. चयनित कैटरर्स द्वारा मेस भवन का उपयोग करने हेतु प्रतिभवन राशि रू. 1,000.00 (एक हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह एक साल तक देना होगा। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार राशि में बढोत्तरी की जाएगी।

15. चयनित कैटरर्स द्वारा मेस से पानी उपयोग करने हेतु प्रतिभवन राशि रू. 500.00 (पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह एक साल तक देय होगा। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

16. चयनित कैटरर्स द्वारा मेस में बिजली का उपयोग करने पर प्रति यूनिट राशि रू. 10.00 (दस रूपये मात्र) दर से देय होगा। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी निर्देशानुसार राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

17. चयनित कैटरर्स को विश्वविद्यालय द्वारा भोजन बनाने हेतु जगह उपलब्ध करायी जाएगी।

18. चयनित कैटरर्स से आपसी सहमति से अनुबंध समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी निर्देश के आलोक में अनुबंध बढ़ाए जाने पर प्रतिदिन प्रतिछात्र भोजन शुल्क में पाँच प्रतिशत वृध्दि की जा सकती है।

19. चयनित कैटरर्स को अतिथियों के लिए प्रतिदिन भोजन का शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

20. विद्यार्थी को पॉच दिन या उसके अधिक अवकाश पर जाने की स्थिति में अपने छात्रावास अधीक्षक से अग्रेषित करा कर न्यूनतम दो दिन पूर्व प्रबंधन समिति मेस व सहायक कुलसचिव सामान्य प्रशासन को सूचित करने के उपरांत ही उक्त अवधि का मेस शुल्क नहीं लिया जाएगा।

21. मेस में भोजन बनाने की जगह का पेस्ट कंट्रोल / इन्सेक्ट किलर की व्यवस्था संबंधित फर्म द्वारा की जाएगी।

22. बीमार छात्रों के लिए संबंधित छात्रावास के अधीक्षक की अनुशंसा पर छात्रावास के कमरे में भोजन ले जाने की अनुमति होगी।

23. **भोजन की आपूर्तिः**

क) भोजन की आपूर्ति, मेन्यू तथा विद्यार्थियों / शोधार्थियों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार ही रहेगी।

ख) निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज एवं शपथ–पत्र में केवल फर्म के नाम या फर्म के मालिक के नाम का वैध ईमेल–आई.डी. एवं कार्यरत मोबाइल नं. दर्शाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा चयनित फर्म के साथ सभी प्रकार का पत्राचार एवं आपूर्ति आदेश इसी ई–मेल के द्वारा ही किया जाएगा। पत्राचार अथवा आपूर्ति आदेश का अवलोकन न कर पाने के कारण किसी भी प्रकार की देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

24. **निविदा की अवधिः**

निविदा किसी कारणवश नहीं खोले जाने की स्थिति में न्यूनतम 90 दिन के लिए वैध होगी।

25. **निविदा प्रपत्र मूल्य (वापस नहीं होगा) :**

***राशि* ₹ 500/-(पाँच सौ रुपये मात्र)** का किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत मांग पत्र (Demand Draft), जो केवल 'वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय' के पक्ष में वर्धा में देय होने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा। इसे धरोहर राशि के साथ निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ भेजा जाएगा।

26. **कृपया सुनिश्चित करें कि निविदा दस्तावेज शुल्क और धरोहर राशि के लिए अलग–अलग मांगपत्र** Demand Draft (Security Money) **हों।**

क) जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि, निविदाकर्ता का चयन होने की तिथि से एक माह के अन्दर लौटा दी जाएगी।

ख) सफल निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के 60 दिन के बाद धरोहर राशि लौटाई जाएगी तथा इस प्रक्रिया के तहत बयाना राशि बिना ब्याज के निविदाकर्ता को देय होगी।

ग) निम्नलिखित कारणों से बयाना राशि (Earnest Money) जब्त की जा सकती हैः

(i) निविदाकर्ता द्वारा निविदा खुलने के बाद स्वयं के प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की स्थिति में,

(ii) निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लिए जाने पर या वैधता अवधि में **निविदा का अल्पीकरण या** निविदा को खारिज कर दिए जाने पर,

(iii) कार्यादेश जारी किए जाने के बाद निविदाकर्ता द्वारा बिना पूर्वानुमति के दूसरी गुणवत्ता / क्वालिटी का भोजन की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में

(iv) निविदाकर्ता द्वारा दी गई सूचना / प्रमाणपत्र / दस्तावेज किसी भी स्थिति में गलत पाए जाने पर।

☞ **टिप्पणी :** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के मामले में आवेदक फर्मों को निविदा दस्तावेज शुल्क और

धरोहर राशि जमा करने से नियमानुसार छूट दी जाएगी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा जारी MSE प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में परिभाषित किया गया है अथवा संबंधित मंत्रालय के केंद्रीय क्रय संगठन के साथ अथवा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा मान्यता प्राप्त विभाग अथवा स्टार्ट–अप के रूप में पंजीकृत हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)/ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को तकनीकी बोली (GFR-2017 के नियम–170 के अनुसार) के लिए निविदा की गई वस्तु के लिए मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए।

27. **सुरक्षा राशि (Security Money) :**

चयनित निविदाकर्ता(ओं) के साथ विश्वविद्यालय एक वर्ष के लिए दर अनुबंध (Rate Contract) करेगा, उस/उन निविदाकर्ता(ओं) को :

(1) वार्षिक अनुबंध राशि रू. 5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये मात्र) उनकी फर्म का चयन पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यह राशि बैंक गारंटी (18 माह अवधि के लिए वैध) के रूप में हो सकती है **अथवा** किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत मांगपत्र (Demand Draft), जो केवल 'वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय' के पक्ष में वर्धा में देय होनी चाहिए। निविदाकर्ता के लिखित आग्रह पर, धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जा सकता है तथा निविदाकर्ता को यह राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात 60 दिन के बाद बिना ब्याज के वापस की जाएगी।

सुरक्षा निधि 15 दिन के अन्दर प्राप्त न होने की स्थिति में धरोहर राशि को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर संबंधित फर्म के साथ इस कार्य को समाप्त किया जा सकता है किंतु अपरिहार्य स्थितियों में साक्ष्यों सहित निविदाकर्ता के लिखित आवेदन की निर्धारित 15 दिन की समाप्ति से पूर्व सूचना से विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के आधार पर इसे निर्णयानुरूप आगे भी बढ़ाया जा सकता है और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

28. भुगतान

क) भोजन के दौरान किसी भी तरह की हानि व क्षति की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की स्वयं की होगी। किसी विशेष परिस्थिति में, इस प्रकार का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

छ) भोजन की सेवाकर (जी.एस.टी.), संस्था का पंजीकरण संख्या और आयकर पंजीकरण (पैन) की जानकारी एवं अन्य वैध दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। बिल में समस्त करों (Taxes) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर प्रस्तुत दर में ही कर राशि सम्मिलित मानी जाएगी।

29. मेस संबंधित नियम एवं शर्तें

क) चयनित कैटरर्स के कर्मियों को यूनिफार्म, हैन्ड ग्लोव्ज़, एप्रैन एवं कैप पहनना अनिवार्य होगा।

ख) मेस से बाहर छात्रावास अधीक्षक के बिना अनुमति भोजन ले जाना वर्जित होगा।

ग) शाकाहारी भोजन ही मेस में पकाया एवं परोसा जाएगा।

घ) चयनित कैटरर्स द्वारा मेस कमेटी के साथ प्रतिमाह मेस संबंधित एक बैठक करनी होगी।

ड) चयनित कैटरर्स को मेस में फस्ट एड बाक्स रखना अनिवार्य होगा।

च) चयनित कैटरर्स को मेस की साफ–सफाई व्यवस्थित रखनी होगी साथ ही किचन एवं डायनिंग एरिया साफ रखना होगा।

छ) चयनित कैटरर्स को किचन सामग्री बर्तन, क्रॉकरी, फर्निचर, वाटर कूलर की सफाई की जिम्मेदारी कैटरर्स की होगी।

ज) चयनित कैटरर्स को किचन, मेस एवं वॉश रूम को सुव्यवस्थित रखना होगा साथ ही वॉश बेसिंन के लिए हेन्ड वॉश एवं टावेल उपलब्ध कराने होगे।

झ) चयनित कैटरर्स अपने मेस कर्मी को साफ–सफाई रखने हेतु उचित प्रशिक्षण देना होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा मेस का साफ–सफाई, भोजन की गुणवत्ता एवं सामग्रियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

उपभोज्य सामग्री (ब्रान्डस)

मेस के भोजन व्यवस्था में उपयोग करने वाली सामग्री	मेस के भोजन व्यवस्था में उपयोग करने वाली सामग्रियों की ब्रांड/कंपनी
नमक	टाटा, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश
आटा	आर्शीवाद, पिल्सबरी, अन्नपुर्णा, नेचर फ्रेश
चावल	दावत, कालीमूछ, श्रीराम
तेल	फॉर्चून फ्रेश तेल/नेचर फ्रेश तेल
मसाला	एम.डी.एच. मसाला, कैच, एवरेस्ट, मदर डेरी, लक्ष्मी फुड एवं मसाला (परब)
पनीर	अमूल, मदर डेयरी, शिवामृत, गोरस भंडार
कैचप	मैगी, किसान, हीन्ज
पापड़	लिज्जत आदि
गाय का दूध (आधी क्रीम)	अमुल, मदर डेयरी, गोवर्धन, शिवमुर्त
चाय	ब्रूक बॉन्ड, लिप्टन, टाटा, ताजा
कॉफी	नेस कैफे, ब्रू
सोया	न्यूट्रीला
मटर	सफल आदि
कोलम चावल	रॉयल, दावत
बासमती चावल	एवरीडे, दावत
हॅन्ड वॉश	लाइफबॉय, डेटाल, आदि
सभी बिना कंपनी के	मेस कमेटी द्वारा निर्धारित

** अन्य कंपनी एफपीओ/एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी के सामग्री को मेस कमेटी द्वारा स्वीकृति के पश्चात कैटरर्स को उपयोग करना होगा।

30. श्रम अधिनियमः

क) चयनित कैटरर्स को 18 साल के कम आयु के किसी भी कर्मी से सेवा लेना वर्जित होगा।

ख) चयनित कैटरर्स को मेस कर्मियों को राज्य एवं केंद्र के अधिनियम के तहत वेतन भुगतान करना होगा।

ग) चयनित कैटरर्स को पुरूष एवं महिला कर्मियों को समान वेतन एवं सुविधा प्रदान करनी होगी।

घ) चयनित कैटरर्स द्वारा उक्त नियम का पालन न करने पर स्वयं जिम्मेवार होगा।

31. मेस की दैनिक भोजन की व्यवस्था हेतु समय–सारणी निम्नानुसार होगी।

भोजन	सोमवार से शुक्रवार	शनिवार एवं रविवार
नास्ता (ब्रेकफास्ट)	7:30 AM to 9.45 AM	7:45 AM to 10:00 AM
दोपहर का भोजन (लंच)	1:00 noon to 2:15 PM	1:00 PM to 3:00 PM
रात्री भोजन (डीनर)	7:30 PM to 9:45 PM	8 PM to 10:00 PM

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

32. **विद्यार्थियों का सत्र अनुसार या गर्मी/शीत अवकाश में कम से कम निम्नानुसार उपस्थिति रहने की संभावित सूची।**

छात्रावास का नाम	सभी छात्रावास में सत्र के अनुसार अधिकतम छात्रों का ब्यौरा		सभी छात्रावास में सत्र के अनुसार न्यूनतम छात्रों का ब्यौरा	
	जुलाई से नवंबर	जनवरी से अप्रैल	दिसंबर	मई, जून, जुलाई
सवित्रीबाई फुले महिला छात्रावास	281	277	71	80
न्यु फैक्ल्टी महिला छात्रावास	40	54	43	86
गोरख पाण्डेय छात्रावास	141	148	141	55
बिरसा मुंडा छात्रावास	110	111	109	20
भगत सिंह छात्रावास	135	135	135	24
सुखदेव छात्रावास	200	200	200	32
राजगुरू छात्रावास	275	267	66	80
कुल	1182	1192	765	377

* **Functioning from Academic Session 2020-21**

33. **नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दण्ड/जुर्माना :**

क) चयनित निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित अवधि में भोजन की आपूर्ति न किए जाने पर विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि दंड के रूप में निम्नानुसार चयनित निविदाकर्ता से दंड वसूल कर सकता है:

नियमों एवं शर्ते के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड (जुर्माना) :

नियम एवं शर्ते	नियम भंग होने पर किया जाने वाले जुर्माना
काउंटर पर शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता नहीं होना/शिकायत दर्ज करने के लिए छात्रों को मना (हतोत्साहित) करना	रू. 500/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
भोजन में कीड़ों का पाया जाना	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
भोजन में बाल, रस्सी, प्लास्टीक एवं कपड़े के टुकडों का पाया जाना	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
बालु/पत्थर (व्यास2 मिमि से अधिक) का पाया जाना	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
कठोर या तीक्ष्ण चीजे जैसे कॉच के टूकडे, नाखुन, सख्त प्लास्टीक इत्यादी	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
भोजन थाली एवं अन्य बर्तनों की स्वच्छता के विरूध्द सप्ताह में तीन से अधिक शिकायत प्रापत होने पर	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
यदि मेस कमिटी एवं मेस में उपस्थित विद्यार्थी इस बात से सहमत है कि भोजन की कुछ वस्तु को ठीक से पकाया नहीं गया है/ अधिक मसालेदार/अतिरिक्त मसालेदार/अतिरिक्त तैलीय है।	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
विषाक्त भोजन (नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।)	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
मेस कमिटी से अनुमति प्राप्त किए बिना भोजन में बदलाव करनां	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
दूध की विश्वसनीयता अथवा उसका अत्याधिक तरल होन पर /दुध में 3 से 4 प्रतिशत तक वसा होना चाहिए अथवा कमिटी दवारा संस्तुती प्रापत होनी चाहिए।	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
मेस में कार्यरत कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, परिधान तथा कर्मियों से दुर्व्यवहार इत्यादि	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)

कमिटी से बिना अनुमति प्राप्त किए अनुबंध में उल्लेखित ब्रांड के सामग्री का उपयोग करना।	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
भोजन हेतु प्रयुक्त गैस सिलिंडर/गैस पाइपलाइन्स से छेडछाड़ करना।	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)
तली हुई चीजों एवं अन्य खाद्य प्रदार्थ को समाचार पत्रों पर रखने हेतु गंभीर रूप से दंड देय होगा।	रू. 1,000/– प्रतिदिन, बिल का 10% (जो अधिक हो)

निम्नलिखित नियमों के उल्लंघन के मामले में भोजन सेवा प्रदाता (कैटरर्स) पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कृपया ध्यान दें:

क) फूड पायज़निंग जैसी शिकायत होने पर उपरोक्त जुर्माने के साथ अनुबंध को रदद करने और कैटरर्स को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। उपरोक्त कारण से अनुबंध रदद होने पर विश्वविद्यालय के पास जमा की गई सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

ख) प्रोप्राइटर या उनके प्रतिनिधि के मेस कमिटी मीटिंग्स (जो हर महीने एक बार आयोजित की जाएगी) में उपस्थित नहीं रहने की अवस्था में राशि रू. 5,000.00 जुर्माना किया जाएगा।

ग) जब मेस कमिटी जुर्माना का प्रस्ताव करती है, तो यह मेस मैनेजर कैटरर्स के प्रतिनिधि को सूचित करेगी और मेस कमेटी की सहमति से अधिष्ठाता, छात्रकल्याण/छात्रावास अधीक्षक/ के अनुमोदन के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।

घ) मेस कमिटी द्वारा मेस से संबंधित अस्वच्छता का गंभीरता से आकलन किया जाएगा और इस हेतु मेस मैनेजर/प्रोप्राइटर पर उचित दंड का प्रावधान रहेगा। गंभीर विफलता/लापरवाही के मामले में एक उचित आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो नकद और/या अनुबंध समाप्ति के रूप में भी हो सकता है।

1. **अभिहस्तांतरण और उप–किरायेदारी :**

निविदाकर्ता को परिणामी अनुबंध अथवा उसके किसी भी हिस्से को देने, मोल–भाव करने, किसी अन्य को बेचने, सौंपने, स्थानांतरित करने अथवा किराए पर देने का कोई भी अधिकार नहीं है, साथ ही परिणामी अनुबंध अथवा उसके किसी भी हिस्से का लाभ लेने के लिए किसी तीसरे पक्ष को देने का अधिकार भी नहीं है।

2. **सवाल और स्पष्टीकरण :**

निविदा के संबंध में किसी भी तरह की असुविधा या अस्पष्टता हो तो वह, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (भोजनावकाश को छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग से दूरभाष नं. 07152–247124 अथवा ई–मेल आई.डी. gen.admn.2019@gmail.com पर लिखित में संपर्क किया जा सकता है।

3. **निविदा दस्तावेज में संशोधन :**

क) निविदा में किसी भी तरह की अस्पष्टता, आपत्ति अथवा विरोधाभास की स्थिति में इच्छुक निविदाकर्ता निविदा के प्रकाशन की तारीख से 07 दिनों के अन्दर सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को लिखित रूप से अथवा ई–मेल से उसे स्पष्ट करने हेतु भेज सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सभी संदर्भों को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा तथा आवेदक निविदाकर्ता की प्रत्येक अस्पष्टता, आपत्ति अथवा विरोधाभास को यथाशीघ्र ई–मेल द्वारा दूर किया जाएगा।

ख) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अथवा निविदा जमा करने के समय, विश्वविद्यालय किसी भी कारणवश चाहे वह अपनी पहल से हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण के जवाब में, शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है और ये संशोधन सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे।

ग) इस प्रकार का कोई भी शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा और उसे विश्वविद्यालय की सिर्फ वेबसाइट 'www.hindivishwa.org' पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए संभावित निविदाकर्ताओं के स्वयं के लिए उचित होगा कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक इस तरह की जानकारी के लिए

विश्वविद्यालय की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन अवश्य करें तथा तदनुरूप निविदा दस्तावेज भरना और जमा करना सुनिश्चित करें।

4. **अप्रत्याशित घटनाः**

यदि इस अनुबंध की अवधि के दौरान, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा अनुबंध में वर्णित किसी भी दायित्व का अनुपालन पूरे अथवा आंशिक रूप से किसी अपरिहार्य कारण से विलंबित अथवा रोका जाता है जैसे कि युद्ध अथवा शत्रुता, सार्वजनिक शत्रुता का कार्य, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़ के कृत्यों, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी अथवा ईश्वर का कार्य (बाद में, घटनाओं के रूप में संदर्भित) जैसी घटनाओं की सूचना, घटना होने की तारीख से 14 दिनों के अन्दर दूसरे पक्ष अर्थात विश्वविद्यालय को दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों में से न तो किसी को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष दूसरे के विरूद्ध देरी अथवा नुकसान की भरपायी के लिए कोई दावा कर सकता है। इस तरह की घटना के समाप्त होने के बाद अनुबंध के तहत जल्द ही फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है। आपूर्ति फिर से शुरू की जाए अथवा नहीं, संबंधित अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। इसके अलावा इस अनुबंध के तहत इस कार्य के किसी भी दायित्व को पूर्ण अथवा कुछ हिस्सों को रोका जा सकता है अथवा 60 दिनों से अधिक अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण देरी होने की स्थिति में दोनों में से कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

5. **अनुबंध की अवधि एवं समाप्ति :**

क) संविदा की अवधि शुरूवात में/आरम्भिक अवस्था में अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसे वार्षिक आधार पर अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों से दोनों पक्षों की सहमति होने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

ख) यदि चयनित निविदाकर्ता अनुबंध के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसरण में निर्धारित अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि के अन्दर भोजन आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रहा अथवा उसके द्वारा अनुबंध के किसी भी दायित्व के उल्लंघन की स्थिति में कोई अन्य उपाय न होने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

ग) विश्वविद्यालय लिखित सूचना द्वारा और चयनित फर्म को बिना कोई मुआवजा दिए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **निविदा की समाप्ति :**

निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध को बिना किसी सूचना के किसी भी समय विश्वविद्यालय द्वारा अपने विवेकाधिकार से रद्द किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के पास बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. **विवाद निस्तारण :**

किसी भी तरह का विवाद होने पर माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। विवादों का न्याय क्षेत्र केवल वर्धा होगा।

☞ उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र, निविदा दस्तावेज शुल्क विवरण, शपथ–पत्र एवं भोजन की मूल्य अनुसूची क्रमशः परिशिष्ट–1 से 3 पर संलग्न हैं। कृपया सूची में दर्शायी गई मदों के आगे ब्रांड स्पष्ट रूप से लिखें या टंकित करें।

कुलसचिव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट), भारत

परिशिष्ट **(Appendix)-I**

तकनीकी निविदा

(निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु)

1.	कार्य की प्रकृति	: ....
2.	निविदाकर्ता फर्म का पूरा नाम	: ....
3.	निविदाकर्ता फर्म का पंजीकृत पूरा पता (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)	: ....
4.	दूरभाष (एस.टी.डी. सहित) एवं मोबाइल नं.	: ....
5.	फैक्स नं. (यदि उपलब्ध हो तो)	: ....
6.	ई–मेल आई.डी.	: ....
7.	फर्म पंजीयन संख्या (तिथि सहित)	: .... (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)
8.	आयकर पंजीकरण संख्या (PAN) (तिथि सहित)	: .... (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)
9.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) पंजीयन संख्या	: .... (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)
10.	कार्यानुभव (वर्षों में) (आवश्यकतानुसार विवरण अलग से संलग्न करें)	: .... (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)
11.	फर्म का पिछले तीन वर्षों (31.03.2020 तक) का टर्न–ओवर	: .... (स्व–सत्यापित प्रमाण संलग्न)
12.	संदर्भ विवरण (Reference Details) कृपया किन्हीं दो सरकारी अर्द्ध– सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) स्वायत संस्था अथवा प्रतिष्ठित गैर–शासकीय एजेन्सियों का सम्पर्क विवरण दें जिनसे आपकी फर्म के संबंध में आवश्यकता होने पर जानकारी ली जा सके।	[1] : .... [2] : ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त क्र. 1 से 9 पर दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः मूल दस्तावेजों के अनुसार एवं सत्य है तथा निविदाकर्ता इस निविदा को भरने हेतु फर्म की और से अधिकृत है।

☞ **टिप्पणी : सभी वांछनीय दस्तावेजों पर निविदाकर्ता के पूर्ण अथवा लघु हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगा होना आवश्यक है। समस्त दस्तावेज लिफाफा– [1] में तथा अन्य दस्तावेज लिफाफा– [2] में रखें।**

दिनांक : .... **निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर**

स्थान : ....

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

***परिशिष्ट* (Appendix)-II**

निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (इ.एम.डी.) का विवरण

(निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु)

1. निविदा दस्तावेज शुल्क **राषि ₹ 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)** (वापस नही किया जाएगा) –

डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....

डिमांड ड्राफ्ट की तिथि ....

बैंक द्वारा निर्मित ....

2. **(क)** धरोहर (ई.एम.डी) **राशि ₹............... (शब्दों में...)**
(बिना ब्याज के वापस की जाएगी) –

डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....

डिमांड ड्राफ्ट की तिथि ....

बैंक द्वारा निर्मित ....

(ख) उपर्युक्त बिंदु–2 (क) निविदाकर्ता पर लागू नहीं होता है। चूंकि निविदाकर्ता को ---------
----
कारण से भारत सरकार के नियमानुसार, धरोहर राशि जमा करने से छूट प्राप्त है। तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न है, जिसकी मूल प्रति, मांगने पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा उनके नामित प्रतिनिधि अथवा गठित समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत की जाएगी।

अनुलग्नक : उपरोक्तानुसार दो/एक डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में तथा धरोहर राशि जमा करने से छूट संबंधी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक : ....

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर,
नाम एवं मोहर

स्थान : ....

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट), भारत

भोजन व्यवस्था हेतु मेस मेन्यू

दिन	नास्ता	दोपहर का भोजन	रात्रि का भोजन
सोमवार	सादा पराठा, आलू-मटर भुजिया, चाय	करेला फ्राई, सोयाबीन सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सलाद	भिन्डी फ्राई, आलू-पालक सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़
मंगलवार	पालक पुड़ी, आलू रसदार सब्जी, चाय	आलू-फुलगोभी सब्जी, आलू-मेथी भुजिया, दाल, रोटी, चावल, सलाद	पनीर मसाला, दाल, तवा रोटी, चावल, पापड़
बुधवार	आलू पराठा, धनिया चटनी, दही, चाय	मिक्स-वेज, काला-चना सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सलाद	लिट्टी/बाटी, आलू-बैंगन चोखा, दाल, चावल, पापड़
गुरुवार	इडली, सांभर, नारियल चटनी, चाय	कढ़ी-पकौड़ा, आलू भुजिया, रोटी, चावल, पापड़,	मटर-पनीर, खीर/ सेवई, पुड़ी, चावल, पापड़
शुक्रवार	प्याज़ पराठा, आलू-मटर भुजिया, चाय	आलू करेला भुजिया, राजमा, मिक्स दाल, रोटी, चावल, सलाद	मिक्स-वेज, आलू-फुलगोभी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़
शनिवार	सत्तू पराठा, धनिया चटनी, चाय	खिचड़ी, चोखा, छाछ, भिन्डी फ्राई, रोटी, चावल, दाल, पापड़	आलू-मटर भुजिया, लौकी सब्ज़ी, मिक्स दाल, रोटी, चावल, पापड़
रविवार	पोहा, मोठ, चाय	छोले-भटूरे/पुरी, चावल, दाल, सलाद	पालक-पनीर, दाल, गुलाब जामुन, चावल, पापड़
दर प्रति दिन जी.एस.टी. के बिना **Rate per Day Excluding GST**			Rs. ______________
दर प्रति दिन जी.एस.टी. के साथ (% में) **Rate per Day Including GST Rates (in %)**			Rs. ______________

नोट : केला, दूध, बटर, दही, कॉफ़ी, मसाला छाछ विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराना होगा। जिसे इच्छुक विद्यार्थी अतिरिक्त भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।

सलाद (खीरा,चुकंदर, टमाटर, गाजर, प्याज़, ककड़ी, फ्राई मिर्च)

टिप्पणी :

1. कृपया भोजन की केवल एक ही दर अंकित करें। इसमें किसी तरह की काँट–छाट स्वीकार्य नहीं होगी।
2. समस्त दर, कर (GST) सहित हों, एवं कर का उल्लेख प्रतिशत (%) में अलग से हो।
3. भोजन की आपूर्ति विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा के विभिन्न छात्रावासों एवं संतुष्टी भोजनालय में उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदा के इस पूर्ण प्रपत्र पर **पर निविदाकर्ता के पूर्ण अथवा लघु हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगा होना आवश्यक है।**

शपथ–पत्र

निविदाकर्ता द्वारा फर्म के पत्र–शीर्ष (लेटर–हेड) पर भरे जाने हेतु

1. सत्यापित किया जाता है कि मैंने/हमने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित संपूर्ण विवरण एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और तदुपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चाही गई भोजन की दरें विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मूल्य अनुसूची के प्रपत्र पर ही अंकित करता/करती/हूँ/करते हैं तथा वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि निविदा दस्तावेज में दर्शायी गई सभी शर्तें मैंने/हमने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली हैं और मुझे/हमें स्वीकार हैं। मेरी/हमारी फर्म का चयन होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय से अनुबंध के समय अन्य शर्तें (यदि हों) भी मुझे/हमें स्वीकार्य होंगी।
2. यह कि स्वयं निविदाकर्ता अथवा मेरी/हमारी फर्म को किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय सरकारी संस्था एवं विश्वविद्यालय आदि किसी स्वायत्त संस्था द्वारा पिछले पांच वर्षों में काली सूची में नहीं डाला (ब्लैक–लिस्ट नहीं किया) गया है।
3. यह कि मेरे/हमारे द्वारा परिशिष्ट (Appendix)-I, परिशिष्ट (Appendix)-II, परिशिष्ट (Appendix)-III में मांगे गए सभी स्व–सत्यापित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। समस्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज सही हैं और विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर इनकी मूल प्रतियां विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा चयन प्रक्रिया हेतु गठित समिति के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
4. यह कि मुझे/हमें भली–भांति विदित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथमतः इसे कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। सम्भव न होने पर, न्याय हेतु न्याय क्षेत्र, वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

दिनांक : ....   **निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर**

स्थान : ....

फर्म अथवा फर्म के मालिक के नाम का वैध मेल आई. डी. : ....

कार्यरत दूरभाष/ मोबाइल नं...

मैं/हम रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के लिए ऊपर उद्धृत भोजन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ/हैं। यदि मेरी/हमारी बोली अधिकतम मेन्यू अनुसार सबसे कम लगती है, तो मैं/हम अन्य बोलीकर्ताओं द्वारा सबसे कम बोली जाने वाली कीमत पर भोजन व्यवस्था के लिए उसी कम दर पर आपूर्ति हेतु सहमत हूँ/हैं। मैं/हम महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की संतुष्टि के लिए बाजार निर्धारित दर से ऊपर प्रारूप में उल्लिखित भोजन मेन्यू के अनुसार आपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

दिनांक : ....

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर

स्थान : ....